न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. मोहनसिंह उम्र 50 साल
2. विजेन्द्र सिंह उम्र 45 साल } पिसरान भौमसिंह
3. राजवीरसिंह उम्र 40 साल
4. मानसिंह उम्र 65 साल
5. अमरसिंह उम्र 75 साल पुत्र लखसिंह
6. लछमनसिंह उम्र 78 साल पुत्र लखसिंह

सभी जाति राजपूत निवासी मांची तहसील करौली जिला करौली राज. — प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकुमार उम्र 70 साल } पि. स्व. मंगला
2. रामरतन उम्र 65 साल
3. बाबूलाल उम्र 24 साल पुत्र स्व. टुण्डू
4. मु. गलता बेवा बद्री
5. मोहरसिंह पुत्र बद्री उम्र 26 साल
6. रमेश उम्र 36 साल पुत्र स्व. हीरालाल
7. कुन्जलाल उम्र 56 साल } पि. स्व. सूरजमल
8. इन्द्रराज उम्र 45 साल
9. मेघराम उम्र 30 साल पुत्र सुरजन
10. रामगिलास उम्र 40 साल } पि. स्व. छिंगा
11. काडू उम्र 25 साल
12. कारी पुत्री स्व. छिंगा
13. रिषी उम्र 25 साल } पि. स्व. हरिचरण
14. रामेश्वर उम्र 23 साल
15. राजन्ती पत्नि स्व. हरिचरण (फौत—नाम हजफ)
16. कमलेशी
17. हेमा } पुत्रियां स्व. हरिचरण
18. रीना
19. स्वरूप पुत्र सांवलिया

सभी जाति मीना निवासी दीपपुरा तहसील करौली जिला करौली राज.

20. आवंटन अधिकरी, तहसीलदार, तहसील व जिला करौली राज. — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14(4) राजस्थान कृषि भूमि प्रयोजनार्थ नियम 1970 विरुद्ध आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1967 खसरा नंबर 1278 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा व खसरा नंबर 1277 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा स्थित ग्राम मांची तहसील करौली की भूमि आवंटन अधिकारी तहसीलदार करौली द्वारा मंगल पुत्र किशन, हीरा पुत्र गंगाधर, पून्या पुत्र लटूर एवं सूरजमल पुत्र लटूर जाति मीना निवासी दीपपुरा को आवंटन नामांतरकरण संख्या 91 दिनांक 09.08.1970 में बताया है।

निर्णय

दिनांक 24.03.2020

यह निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत पेश किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मांची तहसील करौली की आराजी खसरा नंबर 1278 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा व खसरा नंबर 1277 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा मंगल पुत्र किशन, हीरा

पुत्र गंगाधर, पून्या पुत्र लटूर एवं सूरजमल पुत्र लटूर जाति मीना निवासी दीपपुरा को दिनांक 06.06.1967 को आवंटन की गई थी जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

वकील प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आवंटन आदेश कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1957 जिसके द्वारा दिनांक 06.06. 1967 के दिवस पट्टा जारी करना बताया है, वह भूमि खसरा नंबर 1277 व 1278 ग्राम मांची तहसील करौली में स्थित है। वह भूमि कृषि भूमि नहीं रही है बल्कि यह दोनों खसरा नंबरान गैर मुमकिन आबादी भूमि रही है जिनका अंकन सैटलमेण्ट संवत् 2015 में है और सैटलमेण्ट कॉलम संख्या 3 में आवेदकगण के पिता/पूर्वज के अंकन रहे हैं और आबादी भूमि को भूमि का आवंटन अधिकारी को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन करने का आवंटन पट्टा जारी करने का अधिकार आवंटन नियमों के तहत नहीं है। आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1967 बिला क्षेत्राधिकार होने से प्रारम्भतया शून्य होने से अपास्त किये जाने योग्य है। बताया गया आवंटन आदेश/पट्टा 06.06.1967 का कोई रिकॉर्ड जिला भू–अभिलेखागार, कलक्ट्रेट करौली में नहीं है और यदि है तो उसे आवंटन अधिकारी व रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 लगायत 19 द्वारा न्यायालय को बताना है और ऐसा अभिलेख न्यायालय में पेश करना है और न्यायालय द्वारा ऐसा अभिलेख अवलोकन कर उसकी सत्यता एवं वैधता तय करनी है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 5(24) के तहत गैर मुमकिन आबादी भूमि आवंटन योग्य भूमि की तारीफ में नहीं आती है। धारा 5(24) में आबादी भूमि को अपवर्जित किया हुआ है अर्थात् आवंटन भूमि खसरा नंबर 1277 एवं 1278 कृषि भूमि नहीं है। आवंटन योग्य नहीं है। आबादी भूमि है जिसके संबंध में आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1967 विधिसम्मत नहीं है। आरबिट्रेरी है। प्रारम्भतः शून्य है। अपास्त किये जाने योग्य है। विधि अनुसार गैर मुमकिन भूमि, गैर मुमकिन आबादी भूमि व गैर मुमकिन पहाड़ आदि भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन योग्य भूमि नही होती है। राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोण्डेण्ट नंबर 1 लगायत 19 के पिता पूर्वज मंगल, हीरालाल, पून्या, सूरजमल के हक में किये हैं, वह बिना अधिकार है, अनाधिकार हैं। ऐसा कोई आवंटन नहीं हुआ है और ऐसा आवंटन होना विधिसम्मत भी नहीं है। ऐसे बिला आधार जमाबंदी /नामांतरकरण आदि में हुए इन्द्राज से कानूनन कोई हक हकूक खातेदारी अधिकार आवंटी को विधि अनुसार प्राप्त नहीं होते हैं। भूमि पर आवंटी का कोई विधिवत् कब्जा भी नहीं है। गैर मुमकिन आबादी भूमि का आवंटन से पूर्व विधि अनुसार भूमि किस्म रूपान्तरण भी नहीं किया गया है, ना ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद है। आबादी भूमि का बिना सक्षम अधिकारी द्वारा किस्म परिवर्तन किये कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन विधि सम्मत नहीं है और ऐसा आवंटन क्षेत्राधिकार विहीन होता है और ऐसे आवंटन के आधार पर आवंटी को विधिक तौर पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। बताया गया आवंटन विधि विरुद्ध है। आवंटन नियमों के विपरीत है जो अपास्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आवंटन का कोई आदेश नहीं है। कोई पट्टा नहीं है। कोई कार्यवाही पत्रावली नहीं है। आवंटी द्वारा राजस्व कर्मियों से मिलकर बिला आधार इन्द्राज अपने हक में राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 द्वारा व उनके पितागण द्वारा कराये हुए हैं जो पूर्णतया अवैध हैं, असत्य हैं और प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है। तथाकथित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1967 न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण की जानकारी में इस अवैध आवंटन की जानकारी होने पर रिकॉर्ड तलाश करने पर उपलब्ध नहीं होने पर पूर्ण छानबीन करने पर प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने के लिये न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। आवंटन नियम 1957 जो है, वह आवंटन नियम 1970 के अनुसार रिपील हो चुके हैं। कार्यवाही 1970 के नियम अनुसार की जानी है और न्यायालय जिला कलक्टर को स्वप्रेरणा से भी ऐसे अवैध

आवंटन को न्यायालय द्वारा अपास्त करने का विधिक अधिकार है। प्रार्थना पत्र पोषणीय है। तथाकथित आवंटन आवंटी पक्ष द्वारा धोखा देकर प्राप्त किया हुआ है, स्पष्ट हो रहा है। आवंटी पक्ष द्वारा गलत तौर पर प्रतिनिधित्व कर आबादी भूमि का आवंटन करा लिया जाना बताया है जो प्रथम द्रष्टया ही आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ आबादी भूमि का होने कसे धोखापूर्ण कार्यवाही है। इस आवंटन के संबंध में कोई उद्घोषणा नहीं हुई है। कोई आवेदन कार्यवाही नहीं हुई है, कोई आवंटन नहीं हुआ है ना ही ऐसा आवंटन हो सकता है। आवंटी भूमिहीन भी नहीं रहे हैं। इन समस्त परिस्थितियों को बताया गया है। आवंटन पूर्णतया धोखापूर्ण है। अपास्त किये जाने योग्य है। आवेदकगण खसरा नं. 1277 व 1278 के भोक्ता रहे हैं और हम प्रार्थीगण हमारे पिता व पितामह के वारिस है एवं यह भूमि हमारे पिता / हमारे पूर्वजों के समय से कब्जे में रही है एवं इन भूमि से लगी हुई हमारी खातेदारी की दीगर भूमि खसरा नं. 1275–1276 व 1249 है। इस इस आवंटन से प्रभावित हैं। हम आवेदकगण को विधिक अधिकार हैं। बिला अधिकार बिना आधार भूमि के खातेदारी इन्द्राज ऐसे प्रारम्भतया शून्य आवंटन आदेश के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड कर दिये जाते हैं जो बिला क्षेत्राधिकार आवंटन आदेश के परिणामस्वरूप किये जाते हैं। ऐसे खातेदारी इन्द्राज विधि अनुसार आवंटी पक्ष को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं और आवंटी पक्ष को इन भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। जब आवंटन अधिकारी को ही आबादी भूमि का आवंटन करने का विधिक अधिकार नहीं है, तब आवंटी को भी कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार न्यायालय द्वारा ऐसे आवंटन को अपास्त करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। दीगर उज्रात वरवक्त बहस अर्ज किये जावेंगे। अप्रार्थीगण के हक में हुए इस अनाधिकार प्रारम्भतः शून्य आवंटन की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 30.10.2017 को अप्रार्थीगण के हक में पटवारी से आवंटन होने की जानकारी का पता चला, तब आवेदकगण ने दिनांक 02.11.2017 के दिवस नकल नामांरकरण एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति को आवेदन किया। तब रिकॉर्ड रूम में नहीं होना बताया गया। पट्टा आवंटन को आवेदन किया। रिकॉर्ड रूम में पट्टा आवंटन का रिकॉर्ड होना नहीं बताया गया है। आवेदनों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। आवंटन दिनांक 06.06.1967 से 30.10.2017 तक की अवधि आवेदकगण के जानकारी में नहीं होने से क्षम्य है जिसके लिये दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र निगरानी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

वकील अप्रार्थीगण 1 ता 14, 16 ता 19 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र का मद संख्या 1 जिस तरह दर्ज किया गया है स्वीकार नहीं है। विवादित आराजीयात गैर मुमकिन आराजीयात दर्ज की है। मौके पर कोई आबादी नहीं है विवादित जमीनों में प्रार्थीगण सायलान का कोई अंकन हो, गलत दर्ज किया है। विवादित जमीन कृषि उपयोग की है। इस समय में भी कोई आबादी विवादित जमीन में नहीं है। हम जवाबदार विवादित जमीनों पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हैं और काश्त कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र का मद नं. 2 जिस तरह से लिखा है गलत है स्वीकार नहीं है। हमारे हक में पट्टे के अनुसार गंगाधर मंगल सूरजमल पूनया के नाम विधिवत आवंटन हुआ था उनके अनुसार जमाबंदी में इन्द्राज हुए जिनके हम जवाबदारान वारिस हैं। पूर्ण जवाब उज्रात मजीद में दिया जा रहा है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 3 गलत है स्वीकार नहीं है। टीनेन्सी एक्ट की धार 5(24) में लैण्ड की परिभाषा दर्ज की गई है जिसके एलोटमेंट के संबंध में कोई शब्द अंकित नहीं है। धारा 5(27) के तहत भूमि कृषि भूमि में कोई मकान कुंआ आदि भी शामिल है। विवादित जमीन कभी भी

आबादी की जमीन नहीं रही है। ऐलोटमेण्ट नियमानुसार किया गया है। पूर्ण जवाब उज्रात मजीद में दर्ज किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं 4 जिस तरह से दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है। आवंटन नियमानुसार यिका गया है और आवंटन नियमों की पालना किये जाने के पश्चात् हमारे हक में खातेदारी अधिकार भी दिये जा चुके हैं। और मौके पर हम काबिज हैं। पूर्ण जवाब उज्रात मजीद में दर्ज किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 5 गलत है, स्वीकार नहीं है। मौके पर आबादी की जमीन नही थी। विवादित जमीन कृषि योग्य भूमि थी और हमारे बुजुर्ग भूमिहीन थे। समस्त तथ्यों को देखते हुए ही एलोटमेण्ट किया गया है। खातेदारी इन्द्राज भी नियमानुसार किये गये हैं। सायलान कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 6 गलत है, स्वीकार नहीं है। नियमानुसार ऐलोट कोने के पश्चात् ही हमारे हक में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये गये हैं। कोई मसकूकी नहीं हुई है। सायलान कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या गलत है, स्वीकार नहीं है। सायल का 1961 को बाद 2017 तक जानकारी करने नहीं हुई तथा कौनसी तारीख को किस प्रकार जानकारी हुई और भी इस पैरा में दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 8 गलत है स्वीकार नहीं है। कोई किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं दिया गया है। नियमानुसार कब्जा दिया गया है। आबादी भूमिहीन को सायलान कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 9 गलत है, स्वीकार नहीं है। सायल का विवादित जमीन से कोई किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं विवादित जमीन पर सायलान काबिज है ना ही सायलान के बुजुर्गों की खातेदारी की रही है। समस्त तथ्य गलत दर्ज किये हैं। सायलान 1275, 1276, 1279 की भी इस विवादित जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। खसरा नंबर 1275,1276, 1279 इस जमीन से अलग है। खसरा नं. 1275, 1276 मुझ रामरतन के शामलाती खाते व कब्जे की है जिसके संबंध में बंटवारे का दावा सायलान ने न्यायालय ए.सी.एम. में पेश कर रखा है जो ए.सी.एम. कोर्ट में लंबित है। इस एलोटमेण्ट का प्रभाव इन नंबरों पर पड़ रहा है, गलत दर्ज किया है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 10 गलत है, स्वीकार नही है। आवंटन व खातेदारी अधिकार नियमानुसार किये गये हैं। सायलान कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 11 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 12 क्षेत्राधिकार से संबंधित है। श्रीमान्जी को सुनवाई का क्षेत्राधिकार होना गलत दर्ज किया है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 13 कानूनी है, कोर्ट फीस कितनी चस्पा की है, दर्ज नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 14 जिस तरह लिखा है गलत है स्वीकार नहीं है। सायलान व इनके बुजुर्गान को आवंटन होने के दिन से ही आवंटन व खातेदारी होने की जानकारी गलत दर्ज की है। दिनांक 30.10.2017 व 17.09.2017 की कहानी गलत दर्ज की है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद नहीं है। सायलान एकतरफा कोई कानूनी मियाद होना दर्ज नहीं होना दर्ज करते हैं, दूसरी तरफ मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के विरोधी अभिवचन हैं। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 15 अंतिम दादरसी का है जो गलत है स्वीकार नहीं है। सायलान कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उज्रात मजीद निम्न हैं–एलोटमेण्ट कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन 1951 के तहत होना सायलान का स्वीकृत तथ्य है जिसके संबंध में सायलान ने धारा 14(4) ऐलोटमेण्ट रूल्स 1970 के तहत पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। सायलान का यह भी स्वीकृत तथ्य है कि ऐलोटमेण्ट हमारे बुजुर्गों के हक में दिनांक 06.06.1967 को भूमि आवंटन अधिकारी तहसीलदार करौली द्वारा मंगल, हीरा, पून्या सूरजमल के हक में किया गया था। सायलान द्वारा स्वीकृत तथ्य होने की वजह से हमारी तरफ से कोई दस्तावेज पेश करना आवश्यक नहीं है। विवादित जमीन खसरा नंबर 1278 हमारे बुजुर्गों की पूरी ऐलोट नहीं हुई थी सिर्फ 11 विस्वा जमीन एलोट हुई थी जिसको खसरा नंबर 1278 के मिन नंबर 1278/1, 1278/2 दर्ज हुए। 1278/1 अभी तक सिवायचक दर्ज है तथा

1278/2 रकबा 11 विस्वा हमारी खातेदारी में है। विवादित जमीन कभी भी आबादी की जमीन नहीं रही है। हम जवाबदार विवादित जमीनों पर केपीटल खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं। मौके पर कोई आबादी नहीं है जिसका मौका दिखाया जा सकता है। सायलान किसी भी तरह से एग्रीट परसन नहीं है इसलिये दरख्वास्त हाजा चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र में सायलान की खातेदारी कॉलम संख्या 3 सेटिलमेण्ट में दर्ज होना गलत दर्ज किया है क्योंकि सेटिलमेण्ट के कालम संख्या 3 में जागीरदार के नाम दर्ज किये जाते हैं और जागीर रियमशन एक्ट के अनुसार सम्वत् 2019 में जागीर रिजूम हो चुकी है और जागीरदारों को ये भूमि के कोई अधिकार नहीं रहते हैं। विवादित जमीन खसरा नंबर 1277 व 1278 सायलान की खातेदारी की जमीन खसरा नंबर 1275, 1276 व 1249 के पास स्थित है। उनको शुरू से ही एलोटमेण्ट के दिन ही हमारे कब्जे काश्त की जानकारी रही है। इसलिये सायलान का यह कहना कि उन्हें दिनांक 30.10.2017 को जानकारी हुई, स्वतः ही गलत साबित हो जाती है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में 06.06.1967 को ऐलोट होना स्वीकार किया है। सन 1967 से आज तक भूमि 51 साल तक सायलान चुप क्यों बैठे रहे, इसका कोई कारण प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र हर प्रकार से बेरून मियाद है। प्रार्थीगण जवाबदारान को खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं इसलिये भी प्रार्थना पत्र धारा 14(4) ऐलोटमेण्ट रूल्स काबिले रफ्तार नहीं है। विवादित जमीन के संबंध में हम जवाबदारान की ओर से न्यायालय सहायक कलक्टर करौली में दर्ज उनवानी रामकुमार बनाम मानसिंह दावा लंबित है जिसमें दिनांक 10.10.2017 को सायलान का वकालतनाम पेश हो चुका है। इस रेगुलर सूट में पक्षकारों के हकूक तय होने हैं। सायलान उक्त मुकदमे दरख्वास्त 212 आर.टी. एक्ट में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीपत्र रेगुलर सूट में लंबित रहते हुए प्रार्थना पत्र हाजा चलने योग्य नहीं है। अंत में निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 15 के फौत होने एवं उसके वारिसान के पूर्व से ही रिकॉर्ड पर होने के कारण अप्रार्थी संख्या 15 का नाम हजफ किया गया।

वक्त बहस वकील अप्रार्थीगण द्वारा सभी अप्रार्थीगण की ओर से नो इन्सट्रक्शन किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2, 7 व 9 को दिये गये रजिस्टर्ड नोटिस की प्रति पेश की गई।

तत्पश्चात् बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि आवंटन आदेश कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1957 जिसके द्वारा दिनांक 06.06.1967 के दिवस पट्टा जारी करना बताया है, वह भूमि खसरा नंबर 1277 व 1278 ग्राम मांची तहसील करौली में स्थित है। वह भूमि कृषि भूमि नहीं रही है बल्कि यह दोनों खसरा नंबरान गैर मुमकिन आबादी भूमि रही है जिनका अंकन सैटलमेण्ट संवत् 2015 में है और सैटलमेण्ट कॉलम संख्या 3 में आवेदकगण के पिता/पूर्वज के अंकन रहे हैं और आबादी भूमि को भूमि का आवंटन अधिकारी को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन करने का आवंटन पट्टा जारी करने का अधिकार आवंटन नियमों के तहत नहीं है। आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1967 बिला क्षेत्राधिकार होने से प्रारम्भतया शून्य होने से अपास्त किये जाने योग्य है। बताया गया आवंटन आदेश/पट्टा 06.06.1967 का कोई रिकॉर्ड जिला भू–अभिलेखागार, कलक्ट्रेट करौली में नहीं है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 5(24) के तहत गैर मुमकिन आबादी भूमि आवंटन योग्य भूमि की तारीफ में नहीं आती है। धारा 5(24) में आबादी भूमि को अपवर्जित किया हुआ है। विधि अनुसार गैर मुमकिन भूमि, गैर मुमकिन आबादी भूमि व गैर मुमकिन पहाड़

आदि भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन योग्य भूमि नही होती है। ऐसे बिला आधार जमाबंदी /नामांतरकरण आदि में हुए इन्द्राज से कानूनन कोई हक हकूक खातेदारी अधिकार आवंटी को विधि अनुसार प्राप्त नहीं होते हैं। भूमि पर आवंटी का कोई विधिवत् कब्जा भी नहीं है। गैर मुमकिन आबादी भूमि का आवंटन से पूर्व विधि अनुसार भूमि किस्म रूपान्तरण भी नहीं किया गया है, ना ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद है। आबादी भूमि का बिना सक्षम अधिकारी द्वारा किस्म परिवर्तन किये कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन विधि सम्मत नहीं है और ऐसा आवंटन क्षेत्राधिकार विहीन होता है और ऐसे आवंटन के आधार पर आवंटी को विधिक तौर पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वादग्रस्त आवंटन का कोई आदेश नहीं है। कोई पट्टा नहीं है। कोई कार्यवाही पत्रावली नहीं है। आवंटी द्वारा राजस्व कर्मियों से मिलकर बिला आधार इन्द्राज अपने हक में राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 द्वारा व उनके पितागण द्वारा कराये हुए हैं जो पूर्णतया अवैध हैं, असत्य हैं। प्रार्थीगण की जानकारी में इस अवैध आवंटन की जानकारी होने पर रिकॉर्ड तलाश करने पर उपलब्ध नहीं होने पर पूर्ण छानबीन करने पर प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने के लिये न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। आवंटन नियम 1957 जो है, वह आवंटन नियम 1970 के अनुसार रिपील हो चुके हैं। कार्यवाही 1970 के नियम अनुसार की जानी है और न्यायालय जिला कलक्टर को स्वप्रेरणा से भी ऐसे अवैध आवंटन को न्यायालय द्वारा अपास्त करने का विधिक अधिकार है। इस आवंटन के संबंध में कोई उद्घोषणा नहीं हुई है। कोई आवेदन कार्यवाही नहीं हुई है, कोई आवंटन नहीं हुआ है ना ही ऐसा आवंटन हो सकता है। आवंटी भूमिहीन भी नहीं रहे हैं। आवेदकगण खसरा नं. 1277 व 1278 के भोक्ता रहे हैं और हम प्रार्थीगण हमारे पिता व पितामह के वारिस है एवं यह भूमि हमारे पिता/हमारे पूर्वजों के समय से कब्जे में रही है एवं इन भूमि से लगी हुई हमारी खातेदारी की दीगर भूमि खसरा नं. 1275–1276 व 1249 है। इस आवंटन से प्रभावित हैं। अंत में निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के पिता/पूर्वजों को दिनांक 06.06.1967 को विवादित आराजीयात का एलोटमेण्ट होना स्वीकार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा यह भी बताया गया है कि विवादित आराजीयात से लगती ही उनकी जमीन भी है। फिर भी प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के पूर्वज/पिता को आवंटित जमीन के विषय में जानकारी नहीं होना, संदेहप्रद प्रतीत होता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच दावा बंटवारा न्यायालय ए.सी.एम. करौली में विचाराधीन होना अवगत करवाया गया है जिससे प्रार्थीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत करना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना उचित होगा।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अप्रार्थीगण के पिता/पूर्वज के हक में किये गये आवंटन दिनांक 06.06.1967 को यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार करौली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 13:57:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: